

1104

1096



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : f52888727bf6a5711fa3

Receipt Date : 18-Jul-2023 02:37:53 pm

Receipt Amount : 28000/-

Amount In Words : Twenty Eight Thousands Rupees Only

Token Number : 202300093875

Office Name : SRO - Simdega

Document Type : Sale Deed

Payee Name : SHRAWAN BARAIK (Vendee)

GRN Number : 2318306187



-: For Office Use :-



[Handwritten Signature]

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

उपरोक्त किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से पूर्व में जिला प्रकाश की सेवा नहीं ली गई है।
मुद्रांक कर्ता 5/10/2023



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : ccc903b80d5b7ed3c7e2

Receipt Date : 02-Dec-2023 12:53:47 pm

Receipt Amount : 4000/-

Amount In Words : Four Thousand Rupees Only

Token Number : 202300093875

Office Name : SRO - Simdega

Document Type : Sale Deed

Payee Name : SHRAWAN BARAIK (Vendee)

GRN Number : 2320414205



-: For Office Use :-




[Handwritten signature]

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह रसीद के प्रमाण के तहत ही प्रमाणित किया जा सकता है।
-वेब नही ली गई है।

511219093



भारत के संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत 1908 की कानून
 46 प्रो. (C) के अन्तर्गत
 भारत के संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत
 कानून (एक्ट) 1899 की धारा 18
 के अन्तर्गत 23-A के अन्तर्गत
 कानून के अन्तर्गत
 कानून के अन्तर्गत
 कानून के अन्तर्गत

[Handwritten signature]

Fee Paid
 A1 24000/-
 Land Lord Fee 3/-
 Process Fee 1/-



पुनीत कुल्लू
 10/7/2023

Valuation Per Decimals
 Land 80,000/-

विक्रय सम्पत्ति प्रतिबन्धित भूमि की सूची के अन्तर्गत नहीं है।

विक्रय पत्र

परमिशन वाद संख्या 285/2022-23 आदेश दिनांक 19.06.2023

(1) लेखाकारी:- श्री पुनीत कुल्लू उम्र 51 वर्ष पिता स्व0 राफैल कुल्लू दादा स्व0 जोहन खड़िया, श्रेणी- अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आक्षादित हैं), पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरां ठाकुरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता- भारतीय नागरिक ।

मौ0 न0 92633256943 आधार संख्या XXXX XXXX 3989

पैन न0 जी.जेड.जे.पी.के.4982 बी.

.....विकेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 821/2023 -

होलिडिंग न0 0020001163000 एम.0

Shahil Kumar Baraik
S/o Nandlal Kibhar Baraik
W/o - Anala Suster
P/S - Simdega
D/S - Simdega
Date - 10/7/2023

मूल पहचान पत्र एवं अन्य
 मिलाया गया, सही पाया

मार्ग दर्शिका पंजी से
 मिलाया गया।

(2) लेख्यधारी:- श्री श्रवण बड़ाईक उम्र 54 वर्ष, पिता स्व0 चरकु बड़ाईक, दादा स्व0 धनी चौक बड़ाईक, श्रेणी- अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आक्षादित हैं), पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- रिगड़ी बाधटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक ।

मो0 नं0 8084932830 आधार संख्या XXXX XXXX 3221

पैन नं0 ए.एच.आई.पी.बी.3331 क्यू

..... केता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 822/2023 -

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मोबलिंग सात लाख रुपये अंके 7,00,000/- रुपये होता है । निर्धारित मूल्य 8,00,000/- रुपये ।

(5) सम्पति:- संरचना रहित आवासीय जमीन अन्दर मौजा- गोतरा ठाकुरटोली, वार्ड नं0 2, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 62 (बारसठ) प्लॉट नं0 2482 (चौबीस सौ बेरासी) रकबा 1.44 एकड़ में से 0.06 एकड़ (छः डिसमिल) जिसका माप- उत्तरी भुजा- 35 फीट, दक्षिणी भुजा- 35 फीट, पूरबी भुजा- 74.6 फीट, पश्चिमी भुजा- 74.6 फीट है । वो प्लॉट नं0 2483 (चौबीस सौ तिरासी) रकबा 0.22 एकड़ में से 0.04 एकड़ (चार डिसमिल) जिसका माप- उत्तरी भुजा- 35 फीट, दक्षिणी भुजा- 35 फीट, पूरबी भुजा- 50 फीट, पश्चिमी भुजा- 50 फीट है । कुल एक खाता के दो प्लॉटों का जुमला रकबा 0.10 एकड़ (दस डिसमिल) आवासीय जमीन जिसपर किस प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है और न पेड़ पौधा है ।

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	62	2482	0.06 एकड़
गोतरा	सिमडेगा	80	62	2483	0.04 एकड़

सुनील बड़ाईक पिता- स्वः फ़िरुंगोच बड़ाईक
ग्राम - सुलकुहर
व्याजा - डेड्डागिर
जिला - सिमडेगा
ता: - 10/11/2023

पुनीत कुल्ल
10.11.2023

जिसकी जुमला चौहददी:-

उत्तर:- टांड नीज बिक्रेता इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- पी0सी0सी0 पथ 12 फीट,

पूरब :- टांड नीज बिक्रेता इसी प्लॉट का अंश,

पश्चिम:- टांड नीज बिक्रेता इसी प्लॉट का अंश ।

मालगुजारी 1.00 रूपया (एक रूपया) अलावे सेस सलाना ।

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिक्री, लीज, बंधक, एकरारनामा, दान नहीं किया हूँ ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने, कर्ज चुकाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी खतियानी है । खतियान में मेरे दादा जोहन खड़िया वो पीउस खड़िया पे. मती खड़िया वो शीमन खड़िया वो आलू खड़िया पे. डोम खड़िया जाति खड़िया शाकिन देह टोला ठाकुरटोली के नाम से दर्ज है । मालगुजारी रसीद जोहन खड़िया वो पीउस खड़िया वो शीमन खड़िया वो आलू खड़िया के नाम से कटता है जो पंजी ॥ के भोल्याम संख्या 1, पृष्ठ संख्या 191 में दर्ज है । मेरे दादा एवं पिता की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी द्वारा आपसी मौखिक भैयादी बंटवारा

पंजी नं० १११
१०/१/२०२३

में मुझे प्राप्त है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे नीज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । खतियान के अनुसार उक्त जमीन कायमी है एवं लगान पानेवाले का नाम मैनेजर इनकम्बर्ड स्टेट मीन जानीब टिकैत श्रीनिवास हुकुम सिंह देव दर्ज है ।

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं । अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 285/2022-23 है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 19.06.2023 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 255 (।।) दिनांक 19.06.2023 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भु-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ, वन भूमि या किसी भी प्रतिबंधित सूची के तहत नहीं है ।

पुनीत कुबेर
10/7/2023

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

पुनीत कुल्लू
10/7/2023




कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी पुनीत कुल्लू ने अपने खरें हाल की पांचों अंगुलियों का निशान पर खसत दिया ।

Anup Kumar Toppo
Advocate
10/7/2023

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व मे धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है,


शिवान बड़ईक
10/7/2023



कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी शिवान बड़ईक ने अपने खरें हाल की पांचों अंगुलियों का निशान पर खसत दिया ।


Anup Kumar Toppo
Advocate
10/7/2023



पुनीत कुल्लू
10/7/2023

पहचानकर्ता का सही

Shahil Kumar Baraik
10/7/2023



कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि पहचानकर्ता
शाहिल कुमार बर्राईक ने अपने दाएँ हाथ
की पाँच अंगुठियों का निशान भर
रखने दिया ।

Anup Kumar Toppo
Advocate
10/7/2023

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार
किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने
स्वीकार किया ।

सही/- Anup Kumar Toppo
Advocate
प्रारूपकर्ता
10/7/2023

परीत कृष्ण
10/7/2023

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल सात पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो0 मकसुद
8-7-2023

मो0 मकसुद,
कचहरी परिसर, सिमडेगा ।

संलग्नक :-

1. खतियान का छायाप्रति,
2. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
3. विक्रेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
4. क्रेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
5. शेडयुल का मूल प्रति,
6. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
7. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,
8. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति
9. सर्वे नक्सा का छायाप्रति ।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पक्षधन की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

पुनीत कुल्लू

5.12.2023

पुनीत कुल्लू